

तालुका उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

2/154/2023

तारीख रजू.....

किशनलाल

बनाम

ठाकुर वगैरा

हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

123

वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकिल प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकिल सायल ने शपथ पत्र नकल जम्माबंदी पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकिल सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।

अतः उभयपक्षकारान् को जर्जे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 68, 69, 101, 102, 103, 374, 419/600, 491, 524, 89/607, 141, 64, 65, 66/603, 84/604, 85, 93, 94, 97, 98, 140, 137, 178; 82, वाके ग्राम रामनगर व आराजी खसरा नम्बर 415, वाके ग्राम रामनगर व आराजी खसरा नम्बर 31, 69, वाके ग्राम बूलाहेडी तहसील कठूमर मे रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर वकिल प्रार्थीगण अनिर्वात बहस करनी होनी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावेगा।

अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 13.07.2023 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 13.07.2023 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर जिला अलवर



7/15

अनुवाद संदीकन 05/10/23
वाक्य समझने के लिए
पत्रावली दिनांक 5/10/23
से पेश हो।

दिनांक... 29/5/24 को पत्र हो: मोन दिव लखन

29/5/24

~~अ~~

खण्ड अधिकारी

कतमा / कतमा

वकील 'जानी' इपास्थित नहीं आहे वकील वडाके
जानी को का - 2 आकाज दिहाई गडि।
कोई इपास्थित नहीं थापा अरु जानी का
जो पत्र थापिका वकील जानी के अरु पत्रिका
अरु हाजरी में खाजि छिदा जाता है पत्रावली
जैसल शुमा लेरु नरु लकरही मूला वाडके
समाप्त (सोपुम्य)

~~अ~~ सोपुम्य

5/24

खण्ड अधिकारी
कतमा (अलपर)